उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-690/2024/1830/41-1-2024-001-सी0एन0-1799581-2024
लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2024

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद आगरा में स्थित नगर निगम सीमान्तर्गत यमुना किनारे रोड पर यमुना बैंक की ओर काली माता मंदिर पर सौन्दर्यीकरण के कार्यके सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1**,** उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-621/2024/1568(2)/41-1-2024-001-CN-1799581-2024, दिनांक 29-06-2024 द्वारा प्रस्तर-2 मेंअंकित**''रू0 147.995लाख पर्यटन निदेशालय द्वारा''**के स्थान पर **''रू0 147.495लाख पर्यटन विभाग द्वारा''**एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 29.06.2024उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, आगरा।
4. विशेष सचिव**,** संस्कृति विभाग**,** उ0प्र0 शासन ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त**,** नगर निगम**,** आगरा।
7. उपाध्यक्ष**,** आगरा विकास प्राधिकरण**,** आगरा।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. निदेशक**,** ललितकला अकादमी**,** लखनऊ ।
10. निदेशक**,** उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)**
11. निदेशक, पर्यटन**,** उ0प्र0**,** लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5**,** 6**,** 7**,** 8**,** 9**,** 10 व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी**,**आगरा।
13. संस्कृति अनुभाग**,** उ0प्र0 शासन ।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
15. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in